संख्याः 33/2016/598/नौ-5-2016-212बजट/2014

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक/एस.एल.एन.ए,
नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊः दिनांकः 03 मार्च, 2016

विषयः-सेटेलाइट टाउन्स योजनान्तर्गत जनपद गाजियाबाद के पिलखुवा नगर में जीआईएस बेस मैप एवं हाउस होल्ड सर्वे हेतु प्राप्त केन्द्रांश की स्वीकृति।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- पी0एम0यू0/1645/343(1)/2013, दिनांक 13.01.2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र प्रायोजित सेटेलाइट टाउन्स योजनान्तर्गत **पिलखुवा नगर में जीआईएस बेस मैप एवं हाउस होल्ड सर्वे हेतु** भारत सरकार द्वारा परियोजना की अनुमन्य लागत रू0 29.30 लाख के सापेक्ष शहारी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-के-14011/15/2011-यूडी-III, दिनांक 07.05.2015 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 10-03-2015 द्वारा प्राप्त केन्द्रांश क्रमशः रू0 7.13 लाख एवं रू0 19000/- अर्थात कुल धनराशि **रू0 7.32 लाख (रू0 सात लाख बत्तीस हजार मात्र)** को वित्तीय वर्ष 2015-16 में **संलग्न बी0एम0-9 के अनुसार** निम्नलिखित शर्तो/उपबंधों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा कोषागार/भारतीय स्टेट बैक से आवश्यकतानुसार आहरित कर स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी (एसएलएनए) के खाते में रखी जायेगी तथा आहरित धनराशि को यथाप्रक्रिया व्यय किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि का व्यय भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा यथानिर्धारित शर्तो/प्रतिबंधों के उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृति दी जा रही है। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, नगरीय निकाय/एसएलएनए तथा कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित प्रशासनिक विभाग तथा वित्त विभाग को दी जाय।

(6) निर्धारित मदों में स्वीकृत धनराशि का व्यय करने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार, शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को भेजा जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत "लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-पिलखुवा नगर को सेटेलाइट टाउन के रूप में विकसित किया जाना (के.80/रा.10-के.रा.)-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा तथा "लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम टाउनस (के.80/रा.10-के.रा.)-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" में उपलब्ध बचत से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015-बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक- बी0एम0-9 (भाग-1)

भवदीय,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या-33/2016/598(1)/नौ-5-2016-212बजट/2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- मण्डलायुक्त, मेरठ।
3- जिलाधिकारी, हापुड.।
4- अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पिलखुवा, जनपद हापुड.।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-3/4
8- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो।
9- कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिये आवेदन/स्वीकृति

(संदर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली-भांति देख लिया जाय)

संख्या व नाम- अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग राजस्व लेखा वित्तीय वर्षः 2015-16

(धनराशि हजार ₹ में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान /विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान /विनियोग (2 - 5)
1	2	3	4	5	6
2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम टाउन्स (के.80/रा.10-के.रा.) -35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	722475	7805	7805	7805	714670
योग	**722475**	**7805**	**7805**	**7805**	**714670**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-पिलखुवा नगर को सेटेलाइट टाउन के रूप मे विकसित किया जाना (के.80/रा.10-के.रा.) -35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	50000	57805	7805	7805	57805
योग	**50000**	**57805**	**7805**	**7805**	**57805**

1- **स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार हैः-**
चालू वित्तीय वर्ष में उक्त मद में भारत सरकार से अपेक्षित केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त नहीं होने के कारण।

2- **स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से हैः-**
चालू वित्तीय वर्ष में उक्त मद में भारत सरकार से केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त होने के कारण।

3- **प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।**

आर.ई. संख्याः 364/ई-8-246/दस-2016, दिनांक 10 फरवरी, 2016

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव, नगर विकास विभाग

सुभाष चन्द्र
अनु सचिव, वित्त विभाग

संख्या : (2)/नौ-5-2016-86बजट/2012, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकर (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक, नगर निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
3- संबंधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
4- नियोजन अनुभाग-4
5- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।